



आदेश द्वारा श्री दिलराज प्रभाकर, "भा0व0से0" मुख्य वन संरक्षक,  
सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर (छ0ग0)

## आदेश

अम्बिकापुर, दिनांक : 21/03/2026

क्रमांक/स्था.ले./2026/ 70 /वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर के पत्र क्र./स्था.ले./490 दिनांक 21.03.2026 एवं पत्र क्र./स्था.ले./488 दिनांक 21.03.2026 के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार दिनांक 21.03.2026 को संजय पार्क के बाड़ा (घेरे) में रखे 14 नग वन्यप्राणी (नर कोटरा-01 नग, मादा कोटरा-05 नग, नर चीतल-01 नग, मादा चीतल-05 नग एवं चौसिंघा नर-02 नग) को आवारा कुत्तों के द्वारा काटे जाने से मृत्यु होने की घटना घटित हुई, जो श्री अशोक सिन्हा, उपवनक्षेत्रपाल, (एस.सी.एफ.ओ.) प्रभारी संजय वन वाटिका, अम्बिकापुर, वनमण्डल सरगुजा का शासकीय कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही एवं वन्यप्राणियों के संरक्षण, संवर्धन में घोर उदासीनता को दर्शाता है। उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन है।

श्री अशोक सिन्हा, उपवनक्षेत्रपाल, (एस.सी.एफ.ओ.) प्रभारी संजय वन वाटिका, अम्बिकापुर, वनमण्डल सरगुजा के द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन में गंभीर लापरवाही एवं घोर उदासीनता बरते जाने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन/कदाचरण पाये जाने के फलस्वरूप प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये जाने के पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्री अशोक सिन्हा, उपवनक्षेत्रपाल, (एस.सी.एफ.ओ.) का मुख्यालय सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर निर्धारित किया जाता है, इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

(दिलराज प्रभाकर)  
मुख्य वन संरक्षक  
सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर

पृ.क्र./स्था.लेखा./2026/

142

अम्बिकापुर, दिनांक : 21/03/2026

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशा.अराज.) छत्तीसगढ़ नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं फिल्ड डायरेक्टर (एलीफेन्ट रिजर्व) सरगुजा वृत्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेश की प्रति संबंधित को सौंपकर अतिरिक्त प्रति पर दिनांकित पावती अभिस्वीकृति प्राप्त कर इस कार्यालय को भेजें तथा इनके विरुद्ध निर्धारित समयावधि में आरोप पत्र मय सुसंगत अभिलेख के तैयार कर अनुमोदन हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करें।
6. उपवनमण्डलाधिकारी अम्बिकापुर द्वारा वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
7. परिक्षेत्राधिकारी अम्बिकापुर द्वारा वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
8. प्रभारी, वन्यप्राणी शाखा, वृत्त कार्यालय, अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
9. श्री अशोक सिन्हा, उपवनक्षेत्रपाल, (एस.सी.एफ.ओ.) (निलंबित) द्वारा वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
मुख्य वन संरक्षक  
सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर



आदेश द्वारा श्री दिलराज प्रभाकर, "भा0व0से0" मुख्य वन संरक्षक,  
सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर (छ0ग0)

## आदेश

अम्बिकापुर, दिनांक : 21/03/2026  
क्रमांक/स्था.ले./2026/ 71 /वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर के पत्र क्र./स्था.ले./490 दिनांक 21.03.2026 एवं पत्र क्र./स्था.ले./488 दिनांक 21.03.2026 के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार दिनांक 21.03.2026 को संजय पार्क के बाड़ा (घेरे) में रखे 14 नग वन्यप्राणी (नर कोटरा-01 नग, मादा कोटरा-05 नग, नर चीतल-01 नग, मादा चीतल-05 नग एवं चौसिंघा नर-02 नग) को आवारा कुत्तों के द्वारा काटे जाने से मृत्यु होने की घटना घटित हुई, जो श्रीमती ममता परते, वनपाल (सी.एफ.ओ.) सहायक, संजय वन वाटिका, अम्बिकापुर, वनमण्डल सरगुजा का शासकीय कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही एवं वन्यप्राणियों के संरक्षण, संवर्धन में घोर उदासीनता को दर्शाता है। उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन है।

श्रीमती ममता परते, वनपाल (सी.एफ.ओ.) सहायक, संजय वन वाटिका, अम्बिकापुर, वनमण्डल सरगुजा के द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन में गंभीर लापरवाही एवं घोर उदासीनता बरते जाने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन/कदाचरण पाये जाने के फलस्वरूप प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये जाने के पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्रीमती ममता परते, वनपाल (सी.एफ.ओ.) का मुख्यालय सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर निर्धारित किया जाता है, इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

(दिलराज प्रभाकर)

मुख्य वन संरक्षक  
सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर

## प्रतिलिपि :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशा.अराज.) छत्तीसगढ़ नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं फिल्ड डायरेक्टर (एलीफेन्ट रिजर्व) सरगुजा वृत्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेश की प्रति संबंधित को सौपकर अतिरिक्त प्रति पर दिनांकित पावती अभिस्वीकृति प्राप्त कर इस कार्यालय को भेजें तथा इनके विरुद्ध निर्धारित समयावधि में आरोप पत्र मय सुसंगत अभिलेख के तैयार कर अनुमोदन हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करें।
6. उपवनमण्डलाधिकारी अम्बिकापुर द्वारा वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
7. परिक्षेत्राधिकारी अम्बिकापुर द्वारा वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
8. प्रभारी, वन्यप्राणी शाखा, वृत्त कार्यालय, अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
9. श्रीमती ममता परते, वनपाल (सी.एफ.ओ.) (निलंबित) द्वारा वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक  
सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर



आदेश द्वारा श्री दिलराज प्रभाकर, “भा0व0से0” मुख्य वन संरक्षक,  
सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर (छ0ग0)

## आदेश

अम्बिकापुर, दिनांक : 21 / 03 / 2026

क्रमांक/स्था.ले./2026/ 72 /वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर के पत्र क्र./स्था.ले./490 दिनांक 21.03.2026 एवं पत्र क्र./स्था.ले./488 दिनांक 21.03.2026 के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार दिनांक 21.03.2026 को संजय पार्क के बाड़ा (घेरे) में रखे 14 नग वन्यप्राणी (नर कोटरा-01 नग, मादा कोटरा-05 नग, नर चीतल-01 नग, मादा चीतल-05 नग एवं चौसिंघा नर-02 नग) को आवारा कुत्तों के द्वारा काटे जाने से मृत्यु होने की घटना घटित हुई, जो श्रीमती प्रतीमा लकड़ा, वनपाल (सी.एफ.ओ.) सहायक, संजय वन वाटिका, अम्बिकापुर, वनमण्डल सरगुजा का शासकीय कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही एवं वन्यप्राणियों के संरक्षण, संवर्धन में घोर उदासीनता को दर्शाता है। उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन है।

श्रीमती प्रतीमा लकड़ा, वनपाल (सी.एफ.ओ.) सहायक, संजय वन वाटिका, अम्बिकापुर, वनमण्डल सरगुजा के द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन में गंभीर लापरवाही एवं घोर उदासीनता बरते जाने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन/कदाचरण पाये जाने के फलस्वरूप प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये जाने के पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्रीमती प्रतीमा लकड़ा, वनपाल (सी.एफ.ओ.) का मुख्यालय सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर निर्धारित किया जाता है, इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

(दिलराज प्रभाकर)

मुख्य वन संरक्षक

सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर

पु.क्र./स्था.लेखा./2026/ 144

अम्बिकापुर, दिनांक : 21 / 03 / 2026

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशा.अराज.) छत्तीसगढ़ नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं फिल्ड डायरेक्टर (एलीफेन्ट रिजर्व) सरगुजा वृत्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेश की प्रति संबंधित को सौंपकर अतिरिक्त प्रति पर दिनांकित पावती अभिस्वीकृति प्राप्त कर इस कार्यालय को भेजें तथा इनके विरुद्ध निर्धारित समयावधि में आरोप पत्र मय सुसंगत अभिलेख के तैयार कर अनुमोदन हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करें।
6. उपवनमण्डलाधिकारी अम्बिकापुर द्वारा वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
7. परिक्षेत्राधिकारी अम्बिकापुर द्वारा वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
8. प्रभारी, वन्यप्राणी शाखा, वृत्त कार्यालय, अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
9. श्रीमती प्रतीमा लकड़ा, वनपाल (सी.एफ.ओ.) (निलंबित) द्वारा वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
मुख्य वन संरक्षक  
सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर



आदेश द्वारा श्री दिलराज प्रभाकर, "भा0व0से0" मुख्य वन संरक्षक,  
सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर (छ0ग0)

## आदेश

अम्बिकापुर, दिनांक : 21 / 03 / 2026

क्रमांक/स्था.ले./2026/ 73 /वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर के पत्र क्र./स्था.ले./490 दिनांक 21.03.2026 एवं पत्र क्र./स्था.ले./488 दिनांक 21.03.2026 के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार दिनांक 21.03.2026 को संजय पार्क के बाड़ा (घेरे) में रखे 14 नग वन्यप्राणी (नर कोटरा-01 नग, मादा कोटरा-05 नग, नर चीतल-01 नग, मादा चीतल-05 नग एवं चौसिंघा नर-02 नग) को आवारा कुत्तों के द्वारा काटे जाने से मृत्यु होने की घटना घटित हुई, जो श्रीमती बिन्दू सिंह, वनपाल (सी.एफ.ओ.) सहायक, संजय वन वाटिका, अम्बिकापुर, वनमण्डल सरगुजा का शासकीय कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही एवं वन्यप्राणियों के संरक्षण, संवर्धन में घोर उदासीनता को दर्शाता है। उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन है।

श्रीमती बिन्दू सिंह, वनपाल (सी.एफ.ओ.) सहायक, संजय वन वाटिका, अम्बिकापुर, वनमण्डल सरगुजा के द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन में गंभीर लापरवाही एवं घोर उदासीनता बरते जाने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन/कदाचरण पाये जाने के फलस्वरूप प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये जाने के पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्रीमती बिन्दू सिंह, वनपाल का मुख्यालय सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर निर्धारित किया जाता है, इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

(दिलराज प्रभाकर)

मुख्य वन संरक्षक  
सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर

**प्रतिलिपि :-**

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशा.अराज.) छत्तीसगढ़ नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं फिल्ड डायरेक्टर (एलीफेन्ट रिजर्व) सरगुजा वृत्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेश की प्रति संबंधित को सौंपकर अतिरिक्त प्रति पर दिनांकित पावती अभिस्वीकृति प्राप्त कर इस कार्यालय को भेजें तथा इनके विरुद्ध निर्धारित समयावधि में आरोप पत्र मय सुसंगत अभिलेख के तैयार कर अनुमोदन हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करें।
6. उपवनमण्डलाधिकारी अम्बिकापुर द्वारा वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
7. परिक्षेत्राधिकारी अम्बिकापुर द्वारा वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
8. प्रभारी, वन्यप्राणी शाखा, वृत्त कार्यालय, अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
9. श्रीमती बिन्दू सिंह, वनपाल (सी.एफ.ओ.) (निलंबित) द्वारा वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
मुख्य वन संरक्षक  
सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर